अध्याय-5
अनुपालन लेखापरीक्षा (पीएसयू)

अध्याय-5

अनुपालन लेखापरीक्षा (पीएसयू)

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड

5.1 जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाइयों तथा उपकरणों की खरीद में कमियाँ

दर के संविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी एवं ड्रग्स/ दवाओं, उपकरणों, मशीनरी, उपकरणों की खरीद में देरी/ खरीद न होने का पता चला जिससे कंपनी के सृजन का उद्देश्य सार्थक नहीं हुआ। विलम्ब से आपूर्ति में ₹7.92 करोड़ की परिसमापित क्षति की वसूली न करने के मामले, सात बोलीकर्ताओं को अस्वीकृत करते हुए और आठवें बोलीकर्ता से वार्ता के आधार पर ₹25.48 करोड के सीवन मदों को खरीदकर आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ देना, ₹3.18 करोड़ की प्राप्ति के बाद भी तीन वर्षों से अधिक समय से राज्य में '102 एंबुलेंस सेवा' का प्रचालन में न होना, जांच प्रयोगशालाओं को पैनल में लेने के लिए निर्धारित प्रकियाओं का अनुपालन न करने के कारण ₹9.47 लाख के अधिक व्यय के मामले लेखापरीक्षा में सामने आए।

राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कॉलेजों और अस्पतालों को दवाओं, सर्जिकल उपकरणों, मशीनरी/ वाहन की खरीद और आपूर्ति करने तथा सेवा प्रदाताओं (विभागों के मुखिया/ डॉक्टरों) को खरीदी और वितरण के अतिरिक्त भार से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार ने (मई 2013 में) जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की स्थापना की, जिसको 5 मार्च 2014 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया और जो स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा (एचएमई) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। कंपनी द्वारा 2014-15 से 2017-18 की अवधि में खरीदी हुई दवाओं और उपकरणों की लेखापरीक्षा मार्च 2018 से जून 2018 के दौरान की गई जो निगमित कार्यालय और पाँच[1] (13[2] में से) ड्रग वेयर हाउस (डीडब्ल्यूएच) की नमूना जांच द्वारा की गई जो 2015-16 से 2017-18

---

[1] जम्मू प्रांत में तीन (i) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच नगरोटा (ii) जीएमसी डीडब्ल्यूएच नगरोटा (iii) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच राजौरी और दो कश्मीर प्रांत में (iv) जीएमसी डीडब्ल्यूएच श्रीनगर और (v) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच अनंतनाग

[2] जम्मू प्रांत में सात (i) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच जम्मू (ii) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच नगरोटा (iii) जीएमसी डीडब्ल्यूएच नगरोटा (iv) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच कठुआ (v) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच राजौरी (vi) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच डोडा और (vii) आईएसएम प्रांतीय जम्मू और कश्मीर प्रांत में छह (i) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच अनंतनाग (ii) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच बारामूला (iii) जीएमसी डीडब्ल्यूएच श्रीनगर (iv) डीडब्ल्यूएच डेंटल कॉलेज श्रीनगर (v) क्षेत्रीय डीडब्ल्यूएच श्रीनगर और (vi) आईएसएम प्रांतीय, श्रीनगर

की अवधि के दौरान दवाओं/ उपकरणों/ डिस्पोजल हैंडल्ड की कीमत के आधार पर और जम्मू व कश्मीर राज्य के दो व्यापक क्षेत्रों (कश्मीर एवं जम्मू) के क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए चुना गया।

2014-15 से 2017-18 के दौरान एचएमई विभाग के 11[3] विभागाध्यक्षों ने ड्रग्स/ दवा, मशीनरी/ उपकरण, फर्नीचर इत्यादि की खरीद के लिए व्यय किए गए कुल ₹573.63 करोड़ में से केवल ₹236.07 करोड़ (41 प्रतिशत) कंपनी को हस्तांतरित किए गए थे और ₹337.56 करोड़ (59 प्रतिशत) की खरीद इन एचओडी द्वारा स्वयं की गई थी, जिससे संकेत मिलता है कि सेवा प्रदाताओं को खरीद/ वितरण के अतिरिक्त बोझ से मुक्त करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्षिक दर संविदा (एआरसी) को अंतिम रूप देने में देरी के कारण ड्रग्स/ दवा, मशीनरी/ उपकरणों को खरीदने में विलम्ब हुआ। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

1. पहले चरण में, कंपनी द्वारा ड्रग्स/ दवाओं/ तरल पदार्थों की खरीदी के लिए जून 2015, जनवरी 2016 और जुलाई 2016 में 870 मदों (940[4] तक बढाई गई) के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें से केवल तीन मामलों में कंपनी ने नवम्बर 2015 और जून 2017 में केवल 592 मदों (63 प्रतिशत) के लिए एआरसी को एनआईटी (नोटिस आमंत्रण निविदा) के जारी होने के बाद 87 दिनों और 320 दिनों के बीच का समय लगाकर अंतिम रूप दिया गया था। इसी प्रकार, दूसरे चरण में विज्ञापित (फरवरी 2017) 723 मदों में से, केवल 362 मदों के लिए एआरसी को नवंबर 2017 और मार्च 2018 के दौरान 273 दिनों और 403 दिनों के बीच का समय लगाकर अंतिम रूप दिया था। पहले चरण में 348 ड्रग्स और दवाओं और दूसरे चरण में 361 ड्रग्स और दवाओं के संबंध में एआरसी की देरी और अंतिम रूप न दिए जाने का अर्थ है कि इन मदों को कंपनी द्वारा मांगकर्ता विभाग के लिए नहीं खरीदा जा सका, जिससे कंपनी के गठन का उद्देश्य सार्थक नहीं हुआ।

प्रबंधन ने पहले चरण में देरी के लिए बोलीदाताओं की प्रतिक्रियों के अभाव को कारण (मार्च 2019) माना। दूसरे चरण के निविदा को जारी करने में देरी के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन को जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि योग्य

---

[3] (i) डायरेक्टर हेल्थ सर्विस (डीएचएस) कश्मीर (ii) डीएचएस जम्मू (iii) और (iv) प्रिंसिपल जीएमसी और संबद्ध हॉस्पिटल, जम्मू (v) और (vi) प्रिंसिपल जी एम सी और संबद्ध हॉस्पिटल, श्रीनगर (vii) सरकारी दन्त कॉलेज, श्रीनगर (viii) सरकारी दन्त कॉलेज, जम्मू (ix) डायरेक्टर, इंडियन सिस्टम ऑफ़ मेडिसिन, जम्मू और कश्मीर (x) कंट्रोलर ड्रग एंड फ़ूड और (xi) परिवार कल्याण निदेशालय एमसीएच और प्रतिरक्षा

[4] 2015 के शुरुआत में एनआईटी-01 में 870 मदें, 2016 के एनआईटी-356 में 45 अतिरिक्त मदें और 2016 के एनआईटी-26 में अतिरिक्त 25 मदें

बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें पूर्व-जीएसटी वाली थीं और बोलियां खोलने के बाद मांगी गई मूल दरों के स्पष्टीकरण और उनकी मैन्युअल गणना में अतिरिक्त समय लगा था। जवाब को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि दर संविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए 87 से 403 दिनों का समय लिया गया था और एआरसी को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप देने के लिए एक तंत्र तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि ड्रग्स/ दवाओं की समय पर खरीद सुनिश्चित की जा सके।

2. कंपनी ने अपनी मानक खरीद प्रक्रियाओं (एसपीपी) में तकनीकी/ वित्तीय मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए, राज्य स्तरीय खरीद समिति (एसएलपीसी) की बैठक और एआरसी जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। नमूना लेखापरीक्षा (जून 2018) में 16 एनआईटी की 11 प्रकार की मदें जैसे ड्रग्स/ दवाओं, सीवन, डिस्पोजल, यंत्रों, मशीनरी, उपकरण, आदि की जांच की तथा देखा कि खरीद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में काफी समय लिया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट-5.1.1*** में विस्तृत वर्णन दिया गया है। एनआईटी के जारी होने की तिथि से तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक (14 एनआईटी के संबंध में) आयोजित करने के लिए 26 दिनों और 284 दिनों के बीच का समय लिया गया, तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि से वित्तीय मूल्यांकन समिति की बैठक (11 एनआईटी के संबंध में) आयोजित करने के लिए एक से 194 दिनों के बीच का समय लिया गया और वित्तीय मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि से एसएलपीसी की बैठक (11 एनआईटी के संबंध में) के लिए तीन दिन से 253 दिनों के बीच समय लिया गया। एनआईटी जारी होने की तिथि से एआरसी/ आरसी (15 मामलों में) को अंतिम रूप देने के लिए कुल 77 दिनों और 487 दिनों के बीच का समय लिया गया। इसके अलावा, एक मामले में एनआईटी जारी करने की तारीख से 737 दिनों की अवधि तक एआरसी/ आरसी को अंतिम रूप (मार्च 2019) नहीं दिया गया। इस प्रकार, एआरसी को अंतिम रूप देने में देरी के कारण, कंपनी मांगकर्ता विभाग के लिए समयबद्ध तरीके से खरीद सुनिश्चित नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने (मार्च 2019 में) कहा कि निविदाओं को अंतिम रूप देने और एआरसी जारी करने में देरी कुछ कारणों से हुई जैसे कि कुछ विषयों में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रयोगशालाओं, परिवादों/ शिकायतों और अदालती आदेशों की मंजूरी आवश्यक थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी अपने एसपीपी में विभिन्न चरणों के लिए कोई भी समय-सीमा को निर्धारित करने में विफल रही।

3. कंपनी ने मांगकर्ता स्वास्थ्य संस्थानों को आपूर्ति की जाने वाली मशीनरी/ उपकरणों/ यंत्रों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की। कंपनी द्वारा नवंबर 2015 से दिसंबर 2017 के दौरान आमंत्रित 17 एनआईटी की लेखापरीक्षा जांच में पता चला

है कि कंपनी द्वारा 463 विभिन्न प्रकार के यंत्रों, मशीनरी, उपकरणों आदि की आवश्यकता के लिए दी गई निविदा के विपरीत 118 मदों (25 प्रतिशत) की दर संविदा को (मार्च 2018 तक) अंतिम रूप देने के लिए तीन से 28 महीने के बीच का समय लगा। शेष 345 मदों (75 प्रतिशत) के संबंध में दर संविदा को एनआईटी के जारी होने की तारीख से 2 से 27 महीने की अवधि की समाप्ति के बावजूद अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

प्रबंधन ने (जुलाई 2018 में) विभिन्न अवस्थाओं पर जिसमें तकनीकी मूल्यांकन, नमूनों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन, तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा अस्वीकरण आदि में विलंब माना है। प्रबन्धन ने यह भी बताया (मार्च 2019) कि बोलीदाताओं के भाग न लेने और कश्मीर घाटी में इंटरनेट सुविधा की बारंबार अनुपलब्धता के कारण भी विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रत्याशित बोलीदाताओं के अनुरोध पर एनआईटी को कई बार विस्तार प्रदान करना पड़ा। इस तथ्य के मद्देनजर उत्तर पर विचार किया जा सकता था कि एनआईटी के जारी करने की तारीखों से 2 से 27 महीने बीतने के बावजूद 75 प्रतिशत मशीनरी/ उपकरण मदों के सम्बन्ध में एआरसी/ आरसी को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

4. कंपनी ने सीवन[5] सामग्री (विभिन्न विनिर्देशों की 208 मदों) की खरीद के लिए (दिसंबर 2015 में) निविदाएं आमंत्रित की, जिसमें आठ[6] निर्माताओं ने भाग लिया और 10 फरवरी 2016 को तकनीकी बोलियां खोली गईं। हालांकि, यह मनमाने ढंग से तय किया गया था (अप्रैल 2016 में) कि पिछले अनुभव और रोगी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अन्य सात बोलीदाताओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करते हुए केवल मैसर्स जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) की वित्तीय बोली खोलेगी। भाग लेने वाले किसी भी बोलीकर्ता की सीवन सामग्री, जो अखिल भारतीय मेडिकल साइंस संस्थान (एम्स) नई दिल्ली और तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएमएससीएल) द्वारा प्रयोग/ खरीद की जाती है, की गुणवत्ता के प्रतिकूल कोई टिप्पणी नहीं पाए जाने के बावजूद ऐसा किया गया। कंपनी ने वित्तीय बोली खोलने के बाद, 197 मदों के संबंध में वार्ता के आधार पर जेएंडजे के पक्ष में लेटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआई) (जुलाई 2016 में) जारी किया तथा ₹27.03 करोड़ की खरीदी के लिए आदेश (अक्टूबर 2016 से मार्च 2018) जारी किया, जिसके

---

5 विभिन्न प्रकार के धागे (शोषक/ गैर-अवशोषक) सुई, जाल, आदि सहित

6 1) जॉनसन एण्ड जॉनसन प्रा. लिमिटेड, (2) लोटस सर्जिकल प्रा. लि., (3) फुचरा सर्जिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डॉल्फिन सीवन लिमिटेड, (4) श्रीम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बी. ब्रौन मेडिकल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड (5) सुतुर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, (6) संयोग इन्टरप्राइजेज के माध्यम से मेरिल एंडो सर्जरी प्रा. लिमिटेड (7) एमसीओ अस्पताल एड्स प्रा. लिमिटेड और (8) क्राउन फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से स्टेरिकैट गट्स्ट्रिंग्स प्रा. लिमिटेड

प्रति मार्च 2019 तक ₹25.48 करोड़ की आपूर्ति प्राप्त हुई। शेष 11 वस्तुओं के लिए एआरसी को (मार्च 2019 तक) अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएमएससीएल) और राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) ने भी (26 अप्रैल 2017/ 28 मार्च 2018 को) कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए बोलीदाताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ फर्मों के साथ सीवन मदों का दर ठेका किया था।

प्रबंधन ने (मार्च 2019 में) कहा कि सैंपल आधारित मदों की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप देना तकनीकी विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करता है और कई बार एकल बोली को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि, 2018-19 के दौरान मौजूदा प्रणाली में सुधार करने के लिए, कंपनी ने उचित प्रतिस्पर्धा के हित में अंतिम उपयोगकर्ताओं से देश में सीवन सामग्री के सभी प्रतिष्ठित निर्माताओं को उचित मौका प्रदान करने का अनुरोध किया है। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एम्स, नई दिल्ली और टीएमएससीएल ने उन निर्माताओं के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी जिन्हें कंपनी द्वारा मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था। सात बोलीदाताओं को अस्वीकृति और जेएंडजे से सीवन मदों की बातचीत की दरों पर खरीदी ने प्रतिस्पर्धा बोली के मुख्य उद्देश्य को सार्थक नहीं किया और परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला।

5. कंपनी के एसपीपी के पैरा 6.1 के अनुसार, खरीदी आदेश की आपूर्ति 60 दिनों (भारतीय मदों के संबंध में) में और 90 दिनों (आयातित मदों के संबंध में) में 100 प्रतिशत की जानी चाहिए जिसके विफल रहने पर अधिकतम[7] 10 प्रतिशत की सीमा तक जुर्माना/ **परिसमापित क्षति** लगाया जाएगा। 120 दिनों के भीतर आपूर्ति न होने की स्थिति में आपूर्ति को गैर-निष्पादित माना जाएगा। कंपनी 120 दिन बाद आपूर्ति को या तो गैर-प्रदत्त आपूर्ति पर 20 प्रतिशत का जुर्माना लगाकर स्वीकार कर सकती है या आपूर्तिकर्ता पर रोक लगा सकता है।

10 निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं (108 में से), जिन्होंने 47 प्रतिशत आपूर्ति की तथा जिनके पक्ष में सितंबर 2017 तक ₹88.71 करोड़ के 2,421 खरीद आदेश जारी किए गए जिनमें ₹79.25 करोड़ की आपूर्ति की प्राप्ति हुई, की नमूना-जांच से पता चला कि निर्धारित 60 दिनों के अंदर ₹19.30 करोड़ (24 प्रतिशत) की लागत वाले 1,017 खरीद आदेशों की आपूर्ति की गई तथा ₹59.95 करोड़ (76 प्रतिशत) के ड्रग्स/ दवाओं की शेष आपूर्ति 60 दिनों के बाद हुई (***परिशिष्ट-5.1.2)***। विलंबित आपूर्तियों में

---

[7] एक से 15 दिनों के बीच देरी के मामले में 2.5 प्रतिशत और बाद के विलंब पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त एलडी प्रत्येक 15 दिनों की देरी के लिए 60 दिनों तक

₹35.97 करोड़ (45 प्रतिशत) की आपूर्ति 61 से 120 दिनों में, ₹14.14 करोड़ (18 प्रतिशत) की आपूर्ति 121 से 200 दिनों में, ₹9.53 करोड़ (12 प्रतिशत) की आपूर्ति 201 से 400 दिनों में और ₹0.31 करोड़ (एक प्रतिशत) की आपूर्ति 400 दिनों बाद प्राप्त हुई। कंपनी द्वारा प्रस्तुत ई-औषधि के माध्यम से जारी ट्रैक परचेज ऑर्डर के आंकड़ों के अनुसार, इन 10 आपूर्तिकर्ताओं पर ₹7.92 करोड़[8] के **परिसमापित क्षति** का प्रभार/ उद्ग्रहण करना था जो उद्ग्रहित नहीं किया गया और इसे 29 दिसंबर 2017 तक की गई सभी आपूर्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने में विफल रहने के कारण माफ़ कर दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि भुगतान करने में देरी प्रबंधन की ओर से लापरवाही के कारण हुई थी, जबकि कंपनी के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त निधियां थी। इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बाबजूद आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने के लिए कंपनी की विफलता के कारण, आपूर्ति में देरी के लिए परिसमापित क्षति **का उद्ग्रहण नहीं किया गया** और संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रग्स/ दवाओं की उपलब्धता प्रभावित हुई।

प्रबंधन ने (मार्च 2019 में) कहा कि असमान फंडिंग प्रतिमान और एचओडी द्वारा निधि जारी करने में देरी के कारण, कंपनी आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं थी और 29 दिसंबर 2017 तक की विलम्बित आपूर्तियों के लिए निर्णीत हर्जाने को कंपनी के अध्यक्ष की मंजूरी द्वारा माफ कर दिया गया था। हालांकि, 2018-19 के दौरान, कंपनी ने देरी से आपूर्ति के लिए ₹81 लाख की परिसमापित क्षति लगायी।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि किसी विशेष तिथि तक सभी विलंबित आपूर्तियों के लिए परिसमापित क्षति को माफ़ करने का निर्णय मनमाना था। इसके अलावा, वित्तीय वर्षों 2015-16 (₹71.54 करोड़) और 2016-17 (₹19.75 करोड़) के समापन पर पर्याप्त नकदी/ नकदी समकक्षों[9] की उपलब्धता और साथ ही 2016-17 (₹82.85 करोड़) और 2017-18 (₹59.83 करोड़) में राज्य सरकार से प्राप्त सिविल डिपॉजिट में रखी गयी राशि से पता चलता है कि पूंजी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी।

6. कंपनी ने (नवंबर 2015 में) 'राज्य में 102 एंबुलेंस सेवाओं के परिचालन' हेतु हेल्थकेयर उपकरणों का प्रतिष्ठापन, 150 एम्बुलेंस में जीपीएस व्यवस्था (बीएलएस[10]: 123 और एएलएस[11]: 27) और दो डाटा केन्द्रों की स्थापना और उनके संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी जिसमें केवल दो बोलीदाताओं ने भाग

8 सितंबर 2017 तक दिए गए खरीद आदेशों पर जुर्माना लगाया गया था

9 कंपनी के अनंतिम लेखों के अनुसार

10 बेसिक लाइफ सपोर्ट

11 एडवांस लाइफ सपोर्ट

लिया। तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने (अप्रैल 2016 में) वित्तीय बोली को खोलने का फैसला किया जिसमें एल1 ने ₹37.10 करोड़ में परियोजना के क्रियान्वयन की पेशकश की। वित्तीय मूल्यांकन समिति की बैठक के 253 दिनों के बाद एसएलपीसी ने 7 जनवरी 2017 को दर संविदा को मंजूरी दी और कंपनी ने (जनवरी 2017 में) ₹25.48 करोड़[12] की लागत पर सफल बोलीदाता को एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन के लिए एलओआई जारी किया। हालांकि, बोलीकर्ता ने परियोजना की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने में असामान्य देरी और इसके अलावा बिल्डिंग और एंबुलेंस को न सौंपना और इनपुट कॉस्ट[13] में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए, टर्मिनेशन नोटिस (मार्च 2017 में) भेजा और (सितंबर 2017 में) दर संविदा को रद्द कर दिया गया। कंपनी ने फिर से एनआईटी (नवंबर 2017 में) आमंत्रित किया; हालाँकि मार्च 2016 में कंपनी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से ₹3.18 करोड़ मिलने के बावजूद दर संविदा को (मार्च 2018 तक) अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस प्रकार दर-संविदा को अंतिम रूप देने और परियोजना के प्रारंभ को सुविधाजनक बनाने के लिए इमारतों/ एंबुलेंसों को सौंपने में देरी के परिणामस्वरूप संविदा निरस्त हो गयी और निधियों की उपलब्धता के बावजूद परियोजना को निष्पादित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने जवाब दिया (जुलाई 2018 में) कि करार के क्रियान्वयान के बाद मांगकर्ता विभाग द्वारा स्थान और एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने थे जो कि करार के न होने के मद्देनजर नहीं सौंपे जा सके। यह भी कहा गया कि निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ कश्मीर और निदेशक एनएचएम ने सेवा के प्रचालन के संबंध में अपना बचाव व्यक्त किया क्योंकि देश में ऐसा कोई मॉडल मौजूद नहीं था। यह भी आगे कहा गया (मार्च 2019 में) कि निविदा एक बार फिर से अगस्त 2018 में आमंत्रित की गई थी और खरीद समिति ने एल1 बोलीदाता को मंजूरी दी थी, जिसके लिए जल्द ही एलओआई जारी किया जाएगा। तथ्य यह है कि, निधियों की उपलब्धता के बावजूद उक्त परियोजना को एनआईटी के जारी होने के तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी (मार्च 2019 तक) अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

---

12 संशोधित निर्णय (सितम्बर 2016) के अनुसार, 100 बीएलएस एम्बुलेंसों और एक कॉल सेंटर का कैपेक्स कास्ट (हेल्थकेयर उपकरण, जीपीएस यंत्र और रेट्रो फिटिंग प्रभार): ₹7.30 करोड़; 125 एम्बुलेंसों (100 बीएलएस और 25 एएलएस) और एक कॉल सेंटर का ओपेक्स कास्ट (मैनपावर, संचालन और एक साल के लिए रखरखाव): ₹18.18 करोड़

13 जैसे ईंधन, जीएसटी का कार्यान्वयन, कर देनदारियाँ और मैनपॉवर

7. कंपनी ने 1,336 मदों (विज्ञापित 2,043 ड्रग्स, दवाओं, शल्य चिकित्सा के सीवनों में से) की जांच और विश्लेषण के लिए चार प्रयोगशालाओं[14] को (दिसंबर 2015 में) सूचीबद्ध किया और दर ठेका अगस्त/ सितम्बर 2017 में समाप्त हो गया था। तीन महीने के विस्तार की अवधि के बाद भी मार्च 2018 तक नयी निविदा नहीं निकाली गयी थी। ड्रग्स की जांच और विश्लेषण का कार्य आरएमएससीएल के साथ सूचीबद्ध एक फर्म[15] को (अक्टूबर 2017 में) सौंपा गया था और गुणवत्ता नियंत्रण नीति और एल1 दरों पर प्रयोगशालाओं का पैनल निर्धारित करने वाली प्रक्रियाओं का पालन किए बिना संविदा (दिसंबर 2017) क्रियान्वित की गयी। लेखापरीक्षा में पता चला है कि फर्म द्वारा की गयी 608 जांच (112 दवाओं के) के लिए ₹15.71 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। 608 जांच[16] में से, 487 जांच में (87 दवाओं को शामिल करते हुए) फर्म की दरें पहले वाली पैनल प्रयोगशालाओं की दरों की तुलना में 1.04 गुना से 12.54 गुना (₹9.51 लाख) अधिक थी, जबकि 46 टेस्ट (8 दवाओं/ ड्रग्स को मिलाकर) की दरें (₹0.04 लाख) कम थी, इस प्रकार कुल मिलाकर ₹9.47 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार, जांच प्रयोगशालाओं के पैनल के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण प्रतिस्पर्धी दरों को सुनिश्चित नहीं किया गया।

प्रबंधन ने (मार्च 2019 में) कहा कि नमूने कंपनी के अध्यक्ष[17] की मंजूरी लेने के बाद पूर्व सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं और आरएमएससीएल के साथ सूचीबद्ध प्रयोगशाला द्वारा जांचे जा रहे थे। यह भी कहा गया कि राज्य स्तरीय खरीद समिति ने अब प्रयोगशालाओं के पैनल प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन दर ठेका (मार्च 2019 तक) जारी नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि कंपनी लगभग 18 महीने (अक्टूबर 2017 से मार्च 2019) तक जांच प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने में विफल रही थी, जिसके दौरान प्रतिस्पर्धी बोली के बिना चयनित प्रयोगशालाओं द्वारा जांच और विश्लेषण किया गया था।

8. पैनल प्रयोगशालाओं को टेबलेटों, कैप्सूलों, मलहमों, पाउडर और ओरल सिरप की टेस्ट रिपोर्टों को प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर और आई.वी फ़्ल्यूड और इंजेक्शन के मामले में 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक था। निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रयोगशालाओं के विफल रहने पर, देय प्रयोगशाला शुल्क

---

14 (i) इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर, पंचकुला (ii) डॉव रिसर्च एण्ड एनालिटिकल, पंचकुला (iii) ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बहादुरगढ़ (iv) मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार

15 मैसर्स ओएसिस टेस्ट हाउस लिमिटेड

16 सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं की दरें उपलब्ध नहीं होने के कारण 75 टेस्ट (17 दवाइयों को शामिल करके) में तुलना नहीं हो पाई

17 स्वास्थ्य एवम् चिकित्सा शिक्षा मंत्री

का 10 प्रतिशत[18] जुर्माना/ **परिसमापित क्षति** लगाया जाएगा। लेखापरीक्षा ने सात महीने[19] के डाटाबेस (24 महीनों में से) की नमूना जांच में पाया कि टैबलेट/ कैप्सूल/ओरल सिरप/ पाउडर आदि के 566 नमूनों (कुल 714 में से) को प्रयोगशालाओं में भेजने में एक से 184 दिनों के बीच की देरी हुई थी। इसी तरह, इंजेक्शन/ आई.वी.फ्ल्यूड के 279 मामलों (377 में से) में एक से 309 दिनों के बीच देरी हुई थी। मगर चुककर्ता प्रयोगशालाओं पर ₹ 0.47 लाख[20] तक का जुर्माना/ **परिसमापित क्षति** नहीं लगाई गई। प्रयोगशालाओं द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी से मांगकर्ता विभागों को ड्रग्स/ दवाओं को जारी करने में देरी हुई।

प्रबंधन ने (मई 2018 में) कहा कि मामले पर प्रयोगशालाओं के साथ बातचीत की गई। आगे (मार्च 2019 में) कहा गया कि विलंबित रिपोर्टों का विवरण अद्यतन किया गया है ताकि जुर्माना/ **परिसमापित क्षति** लगाई जा सके। हालाँकि, (मार्च 2019 तक) कोई जुर्माना/ **परिसमापित क्षति** नहीं लगाई गई थी।

इस प्रकार दर संविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ परिणामस्वरूप ड्रग्स/ दवाओं, यंत्रों, मशीनरी, उपकरणों की खरीद में देरी हुई; जिससे कंपनी के गठन का उद्देश्य विफल हुआ। कंपनी ने दर ठेकों को अंतिम रूप देने और समयबद्ध तरीके से खरीद करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। **परिसमापित क्षति** के न लगाने, ठेकेदारों को अनुचित लाभ, निधि की उपलब्धता के बावजूद 'राज्य में 102 एम्बुलेंस सेवा' के गैर-परिचालन, जांच प्रयोगशालाओं के पैनल करने हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के मामले पाए गए।

मामला सितंबर 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था। प्रबंधन ने मार्च 2019 में अपना जवाब भेजा, जिसे उपयुक्त स्थानों पर रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हालांकि, सरकार का जवाब (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित की गई नमूना जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों का गहन परीक्षण तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना आरंभ कर सकता है।

---

18 निर्धारित डिलीवरी अवधि की एक चौथाई अवधि तक देरी के मामले में 2.5 प्रतिशत, निर्धारित डिलीवरी अवधि के एक चौथाई से अधिक लेकिन आधे से अधिक नहीं देरी के मामले में 5 प्रतिशत, और निर्धारित अवधि के आधे से अधिक लेकिन तीन चौथाई से अधिक नहीं की देरी के मामले में 10 प्रतिशत

19 फरवरी 2016, मई 2016, सितंबर 2016, जनवरी 2017, अप्रैल 2017, अगस्त 2017 तथा दिसंबर 2017

20 गोलियों, कैप्सूलों, मलहमों, पाउडर और ओरल सिरप (521 मामलों) में ₹0.30 लाख और आई.वी फ़्ल्यूड्स और इंजेक्शन (254 मामलों) में ₹0.17 लाख का जुर्माना/ परिसमापित क्षति

बागवानी विभाग

(जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड)

5.2 बिक्री न किए गए जूस कंसंट्रेट के कारण निधियों का नुकसान और अवरोधन

गुणवत्ता स्वीकार्य नहीं होने के कारण खरीददार द्वारा सेब जूस कंसंट्रेट की अस्वीकृति और बाद में कीमतों में कमी होने के कारण ₹7.93 लाख का नुकसान होने के अतिरिक्त बिक्री न किए गए स्टॉक के कारण ₹2.03 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हुई।

जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (जेएंडकेएचपीएमसी) लिमिटेड (निगम), जिसका दोआबगाह सोपोर में संयंत्र है, का 01 अक्टूबर 2013 से 30 सितंबर 2014 तक एक वर्ष की अवधि के लिए ₹86,000 प्रति एमटी की दर से 450 एमटी सेब जूस की आपूर्ति के लिए एक खरीददार[21] के साथ (अगस्त 2013 में) एक करार हुआ। निगम के पास अप्रैल 2012 तक 15 मीट्रिक टन सेब के जूस का शुरुआती स्टॉक था और 2012-13 से 2014-15 के दौरान 429[22] एमटी का उत्पादन किया और उसके बाद लगभग तीन वर्षों तक कोई उत्पादन नहीं किया गया था। संयंत्र का संचालन 23 अक्टूबर 2017 से 03 दिसंबर 2017 के दौरान 41 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए फिर से शुरू हुआ और कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता के कारण 73 एमटी जूस के उत्पादन के बाद बंद हो गया।

निगम के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 2012-13 से 2017-18 के दौरान 517 एमटी सेब जूस के उपलब्ध स्टॉक के प्रति यह केवल 183 एमटी बेच सका। खरीददार, जिसने 450 एमटी की खरीद के लिए सहमति व्यक्त की थी, ने नवंबर 2013 से मई 2014 के दौरान केवल 114 एमटी ही खरीदा और शेष माल अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं होने के कारण खरीदने से इन्कार कर दिया। जून 2014[23] में पहले ही 18 महीने के अपने शेल्फ लाईफ को पार करने के साथ इसकी नष्ट होने वाली प्रकृति की जानकारी होते हुए, निगम ने 51 एमटी की बिक्री की जिसमें मई/ अगस्त 2016 के दौरान एक अन्य खरीददार[24] को ₹60,000 प्रति एमटी की कम दर पर 45 एमटी स्टॉक की बिक्री शामिल थी, परिणामस्वरूप ₹7.93 लाख[25] का नुकसान

---

21 मैसर्स यूनीक फूड्स

22 280 एमटी: 21.07.2012 से 12.12.2012 के दौरान, 135 एमटी: 6.10.2013 से 02.12.2013 के दौरान, 14 एमटी: 27.10.2014 से 27.11.2014 के दौरान

23 दिसंबर 2012 की तारीख से माना जाएगा, जब पहली खेप तैयार की गयी थी

24 मैसर्स. केशव एग्रों प्रा. लि.

25 45 एमटी का मूल्य ₹17,620 प्रति एमटी अंतर दर पर (₹77,620 प्रति एमटी की औसत उत्पादन दर और ₹60,000 प्रति एमटी की कम बिक्री दर के बीच)

हुआ। निगम के 334 एमटी के शेष स्टॉक को बेचने के अगले प्रयास मार्च 2018 तक सफल नहीं हुए, जिसमें 2012-15 के दौरान उत्पादित 261 एमटी का स्टॉक शामिल था परिणामस्वरूप ₹2.03 करोड़[26] की पूंजी अवरुद्ध हुई। नाशवान प्रकृति के आलोक में, स्टॉक इसकी समाप्ति-अवधि के कारण निगम को नुकसान पहुँचा सकता है।

इंगित किए जाने पर, महाप्रबंधक जेएंडकेएचपीएमसी ने (जनवरी 2017 में) इसके लिए वैश्विक उत्पादन में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया, जिससे दरों में भारी कमी आई। यह भी (मई 2018 में) कहा गया था कि निगम को (अप्रैल 2018 में) बिक्री न किए गए पुराने स्टॉक को ₹40 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने के लिए प्रस्ताव मिला था और इसे निदेशक मंडल की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि निगम पिछले पांच वर्षों के अधिक समय से कीमतों में कमी के बावजूद पड़े स्टॉक का निपटान नहीं कर सका, जिससे ₹2.03 करोड़ अवरुद्ध हुए। इसके अलावा, ₹40 प्रति किलोग्राम की कम कीमत पर स्टॉक बेचने के बाद भी कार्पोरेशन ₹0.98 करोड़[27] का नुकसान उठाने जा रहा है।

मामला जुलाई 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था। उत्तर में सचिव बागवानी विभाग ने (जनवरी 2019 में) कहा कि 2013 से 2017 के दौरान, राष्ट्रीय बाजार में बहुत कम लागत पर आयातित कंसंट्रेट की मौजूदगी के कारण बिक्री प्रभावित हुई। इसके अलावा, वर्तमान में सेब के जूस की कीमतें बढ़ गई थी और निगम को 254 एमटी के पुराने स्टॉक को और 73 एमटी के ताजा स्टॉक को खरीदने के लिए क्रमश: ₹48,000 प्रति एमटी और ₹77,540 प्रति एमटी की दर से नए ऑफर मिले थे और बिक्री को निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। तथ्य यह है कि निगम छह वर्षों में भी स्टॉक का निपटान नहीं कर सका, जिसके कारण ₹2.03 करोड़ की पूंजी अवरुद्ध हो गई।

---

26 ₹77,620 प्रति एमटी की औसत उत्पादन दर से 261 एमटी का मूल्य

27 261 एमटी का मूल्य ₹37,620 प्रति एमटी की अंतर दर पर (₹77,620 की औसत उत्पादन दर और ₹40,000 प्रति एमटी की घटी हुई दर के बीच)

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
(जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्टस लिमिटेड)

5.3 सीमेन्ट पीसने और पैकिंग की सांबा यूनिट की क्षमता का कम उपयोग

जम्मू एंड कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा सीमेन्ट पीसने और पैकिंग की सांबा यूनिट की इष्टतम क्षमता का उपयोग करने और निजी पार्टियों/ सरकारी विभागों को उत्पादित सीमेन्ट का विपणन करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2015-18 के दौरान ₹1.26 करोड़ का परिचालनात्मक नुकसान।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (2016 की रिपोर्ट संख्या 2, जम्मू और कश्मीर सरकार) में पैरा 2.1.10.2 में दिखाए गए "सीमेन्ट पीसने और पैकिंग यूनिट सांबा की स्थापना में देरी" के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी की गई जिसमें फरवरी 2013 से फरवरी 2015 के दौरान ₹113.40 करोड़ मूल्य वाली ₹1.57 लाख एमटी सीमेन्ट उत्पादन के नुकसान को इंगित किया गया था।

डिवीज़नल कार्यालय, जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्ट्स लिमिटेड, जम्मू (कंपनी) के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जांच से पता चला (फरवरी 2018 में) कि सीमेन्ट की पीसने और पैकिंग यूनिट सांबा का उत्पादन सितंबर 2015 में शुरू हुआ था और मार्च 2017 तक कंपनी ने अपने संयंत्र पर ₹26.10 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया था। हालाँकि, उत्पादन के पहले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत की क्षमता उपयोग के माध्यम से 1,93,050 एमटी सीमेन्ट के अनुमानित उत्पादन के प्रति अक्टूबर 2015 से मार्च 2018 के दौरान वास्तविक उत्पादन केवल 34,619 एमटी (18 प्रतिशत) था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका-5.3.1: सीमेन्ट का वर्ष-वार उत्पादन

अवधि	यूनिट की उत्पादन क्षमता एमटी में	परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार क्षमता उपयोग	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित उत्पादन एमटी में	वास्तविक उत्पादन एमटी में (प्रतिशत)
अक्टूबर 2015 से मार्च 2016	99,000	प्रथम वर्ष: 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष: 80 प्रतिशत तृतीय वर्ष: 90 प्रतिशत	34,650[28]	6,705 (19.35)
2016-17			74,250[29]	19,271 (*25.95*)
अप्रैल 2017 से मार्च 2018			84,150[30]	8,643 *(10.27)*
कुल			**1,93,050**	**34,619** ***(17.93)***

[28] 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 70 प्रतिशत: 34,650 एमटी

[29] 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 70 प्रतिशत: 34,650 एमटी और 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 80 प्रतिशत: 39,600 एमटी का जोड है 74,250 एमटी

[30] 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 80 प्रतिशत: 39,600 एमटी और 6 महीने के लिए 99,000 एमटी की वार्षिक क्षमता का 90 प्रतिशत: 44,550 एमटी का जोड है 84,150 एमटी

कम क्षमता के उपयोग ने संकेत दिया कि मांग की स्थिति का पता लगाए बिना संयंत्र का निर्माण किया गया था और कंपनी सीमेन्ट की बिक्री का विपणन और निजी पार्टियों या सरकारी विभागों से बिक्री आदेश प्राप्त नहीं कर सकी थी। निर्मित सीमेन्ट की बिक्री को बाजार का समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार ने जम्मू डिवीजन में सभी विभागों को (अप्रैल 2016 में) निर्देश दिया कि वे अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता में जम्मू एंड कश्मीर सीमेन्टस लिमिटेड से खरीदें और कंपनी द्वारा अपेक्षित मांग की पूर्ति करने में असमर्थ रहने और अनुपलब्धता प्रमाणपत्र प्रदान करने की स्थिति में खुले बाजार को चुने। इन निर्देशों के बावजूद कंपनी अपनी बिक्री में वृद्धि और संयंत्र का अपने इष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं कर सकी। संयंत्र के संचालन के पहले तीन वर्षों के दौरान ₹178.19 करोड़[31] की अनुमानित बिक्री की प्राप्ति, जैसा कि तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में अनुमानित था, हासिल नहीं की जा सकी। रिकॉर्ड्स से पता चला कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान ₹27.13 करोड़[32] की राजस्व आय प्राप्ति के प्रति कंपनी ने संयंत्र चलाने के लिए ₹28.39 करोड़[33] का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.26 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ।

जवाब में, (मार्च 2018 में) संयंत्र के अल्प उपयोग के लिए संयंत्र के संचालन में असुविधाएं, तकनीकी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और उन सरकारी विभागों से बिक्री प्राप्तियों में विलंब जिनको उधार पर सीमेन्ट बेचा गया था, जिसके कारण कंपनी संयंत्र की निर्बाध रूप से परिचालन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद पाने में समर्थ नहीं थी को कारण माना गया। आगे (मार्च 2019 में) यह कहा गया कि 2015-18 के दौरान 35,926 एमटी[34] सीमेन्ट की मांग के प्रति बिक्री 34,618 एमटी[35] (96 प्रतिशत) थी और सिविल लेखा प्रणाली के क्रियान्वयन के कारण सीमेन्ट की बुकिंग के लिए कंपनी सरकारी विभागों से अग्रिम राशि प्राप्त नहीं कर सकी और उधार पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा। तथ्य यह है कि संयंत्र की अनुमानित क्षमता का 82 प्रतिशत तक कम उपयोग किया जा रहा था और कंपनी निजी पार्टियों या सरकारी विभागों से पर्याप्त आपूर्ति आदेश नहीं प्राप्त कर सकी थी, जिसके कारण संयंत्र का खर्च राजस्व आय से अधिक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.26 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। प्रति बैग सीमेन्ट की बिक्री दर[36], निजी सीमेन्ट विक्रेताओं[37] की तुलना

---

31 प्रथम वर्ष: ₹51.97 करोड़; द्वितीय वर्ष: ₹59.40 करोड़; तृतीय वर्ष: ₹66.82 करोड़

32 2015-16: ₹5.04 करोड़; 2016-17: ₹15.02 करोड़; 2017-18: ₹7.07 करोड़

33 2015-16: ₹6.56 करोड; 2016-17: ₹15.15 करोड़; 2017-18: ₹6.68 करोड़

34 2015-16: 6,704.07 एमटी, 2016-17: 19,761.35 एमटी; 2017-18: 9,460.45 एमटी

35 2015-16: 6,704.07 एमटी, 2016-17: 19,270.90 एमटी; 2017-18: 8,642.65 एमटी

36 ₹425 प्रति बैग

37 ₹435 से लेकर ₹470 प्रति बैग के बीच

में कम होने के बावजूद कंपनी अपनी बिक्रीयों को बढ़ाने में विफल रही। इसके अलावा, 2015-18 के दौरान, सीमेन्ट की 77 प्रतिशत नकदी बिक्री[38] के मद्देनजर, उधार बिक्री के संबंध में भी तर्क मान्य नहीं था।

अगस्त 2018 में यह मामला सरकार/ कंपनी को भेजा गया था; उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

(एसआईडीसीओ और जेएंडके इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर)

5.4 निधियों का अवरोधन और अलाभप्रद व्यय

पंपोर में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) की स्थापना के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप लगभग दस वर्षों के लिए ₹3.94 करोड़ अवरुद्ध हो गए। इसके अलावा, भूमि पर बाड़ लगाने पर ₹1.06 करोड़ का व्यय हुआ और पंजीकरण शुल्क का भुगतान अलाभप्रद रहा और राज्य, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/ विक्रेता वार्ता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संव्यवहारों के साथ ही विदेशी बाज़ारों के इंटरफ़ेस से मिलने वाली परिकल्पित सुविधा का लाभ नहीं मिल सका।

भारत सरकार (जीओआई) के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पंपोर में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) की स्थापना के लिए राज्यों को निर्यात संरचना के विकास तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए सहायता (एएसआईडीई) के अन्तर्गत अनुदान के रूप में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईडीसीओ) को पांच करोड़ रुपये की पहली किस्त (दिसंबर 2008 में) जारी की। परियोजना में एक ऐसे सुविधा केंद्र के सृजन की परिकल्पना की गई जहां पर राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/ विक्रेता वार्ता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संव्यवहारों का आयोजन हो सके और राज्य के निर्यातकों का विदेशी बाजारों के साथ एक इंटरफेस हो सके। परियोजना की कुल लागत और एएसआईडीई के तहत भारत सरकार का योगदान क्रमशः ₹40 करोड़ और ₹30 करोड़ था। एएसआईडीई अंशदान के ऊपर और अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी थी। इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना था और राज्य सरकार को 31 मार्च 2010 से पहले इसके उपयोग के तुरंत बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था।

एसआईडीसीओ के रिकार्ड लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि दिसंबर 2008 में जीओआई द्वारा जारी ₹पाँच करोड़ की राशि को निगम ने लगभग दो साल के लिए

[38] 2015-18 के दौरान कुल बिक्री; ₹27.13 करोड (नकद बिक्री: ₹20.99 करोड़ + उधार बिक्री: ₹6.14 करोड़)

रोके रखा था। जीओआई द्वारा (जुलाई 2010 में) राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र की मांग पर इसे प्रबंध निदेशक (निदेशक, हस्तशिल्प विभाग, जेएंडके सरकार), जेएंडके इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, के बैंक खाते में (जनवरी 2011 में) हस्तांतरित किया गया जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, नया सचिवालय, श्रीनगर में है। राशि के निवेश, अर्जित ब्याज, साथ ही एसआईडीसीओ द्वारा रोकी गई अवधि के दौरान खर्च की गई राशि के संबंध में इंगित करने वाला बैंक विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। हालाँकि, आईटीसी खाते के बैंक विवरण के अनुसार राशि को 11 जनवरी 2011 से चालू खाते में रखा गया था, जिससे कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ।

यद्यपि 371 कनाल और 6.5 मरला भूमि[39] आईटीसी की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा निदेशक हस्तशिल्प के पक्ष में (सितंबर 2004 में) हस्तांतरित की गई थी। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्पेशल पर्पज़ वेहिकल[40] (एसपीवी) को इसकी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 2012 में गठित किया गया और परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जनवरी 2014 में तैयार की गई। परियोजना कार्य को शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि एसआईसीओपी[41] और जेकेपीसीसी[42] में से निष्पादन एजेंसी की पहचान के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया और डीपीआर को (नवंबर 2018 तक) अंतिम रूप नहीं दिया गया। यह (सितंबर 2017 में) कहा गया था कि संशोधित डीपीआर को तकनीकी **पुनरीक्षण** के लिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑफिस (आईटीपीओ) को सौंप दिया गया था, लेकिन अनुमोदन (नवंबर 2018 तक) प्रतीक्षित था। भूमि के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आर एंड बी विभाग को ₹पांच करोड़ में से ₹1.01 करोड़ की राशि (सितंबर 2012 से जनवरी 2016) अग्रिम की थी और शेष ₹3.99 करोड़ रुपये चालू जमा खाते में रखे गए थे। हालांकि, अनुमोदित डीपीआर की अनुपस्थिति में, बाड़ लगाने के निर्माण पर खर्च किए गए ₹1.01 करोड़ (नवंबर 2018) की राशि को इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह (मई 2018 में) कहा गया था कि राज्य सरकार ने अब (अक्टूबर 2017 में) **जम्मू एंड कश्मीर** ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाईजेशन (जेकेटीपीओ) नाम की एक कंपनी बनाई है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए ₹0.05 करोड़ खर्च किए।

इस प्रकार, पंपोर में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आईटीसी) स्थापित करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप लगभग दस वर्षों के लिए ₹3.94 करोड़ अवरुद्ध हुए। इसके अलावा, भूमि पर बाड़ लगाने और पंजीकरण शुल्क के

39 जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रबंधन वाली प्लाई बोर्ड फैक्ट्री की

40 परियोजना शुरू करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत

41 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

42 जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन

भुगतान पर ₹1.06 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया और राज्य, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता/ विक्रेता वार्ता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संव्यवहारों के साथ ही विदेशी बाज़ारों के साथ इंटरफ़ेस करने की परिकल्पित सुविधा का लाभ नहीं मिल सका।

इस मामले को जुलाई 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था और जवाब में, निदेशक वित्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग ने (अक्टूबर 2018 में) कहा कि राशि एसआईडीसीओ द्वारा दो साल से कम समय के लिए रखी गई थी और इसे हस्तशिल्प निदेशालय को उनके इस आश्वासन के आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया था कि एसपीवी का औपचारिक पंजीकरण हफ्तों के अन्दर किया जाएगा।

हालांकि, तथ्य यह है कि निधियों की उपलब्धता के बावजूद, परिकल्पित सुविधा स्थापित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप निधियां अवरुद्ध हुई और व्यय निष्फल हुआ।

श्रम एवं रोजगार विभाग

(जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड)

5.5 नई दिल्ली में कार्यालय स्थापित करने पर अनुत्पादक व्यय

बिना किसी सार्थक गतिविधि के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का नई दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन, परिसर को किराए पर लेने और अन्य खर्चों के लिए ₹47.86 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य के शिक्षित/ कुशल श्रमबल के लिए देश के अन्दर और बाहर रोजगार को सुगम बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (जेकेएसओईसीएल) की स्थापना के लिए (नवंबर 2009 में) स्वीकृति प्रदान की थी। प्रधान कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवारों को पासपोर्ट प्राप्त करने, पासपोर्ट वैधता में विस्तार करने, वीजा अनुमोदन, एयरलाइन्स आरक्षण और संबंधित एजेंसियों से दस्तावेजों के प्रमाणीकरण जैसे औपचारिकताओं के पूरा होने में सहायता/ सुविधा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2010 से महाप्रबंधक (विपणन) का कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया। हालांकि, इसे मार्च 2012 से क्रियाशील बनाया गया।

एक महाप्रबंधक (विपणन), एक सहायक विपणन प्रबंधक, एक कंप्यूटर सहायक और एक अर्दली (संविदात्मक) के पद के प्रति, केवल एक महाप्रबंधक (विपणन) और एक अर्दली दिल्ली कार्यालय में तैनात थे।

कंपनी ने ₹ 30,000 के मासिक किराए पर कार्यालय परिसर को (दिसंबर 2010 में) किराए पर लिया। महाप्रबंधक (विपणन) को अगस्त 2011 से दिसंबर 2013 तक 28 महीनों की संक्षिप्त अवधि के लिए तैनात किया गया, जबकि जून 2016 तक यानी 2½ साल की अवधि के लिए परिसर किराए पर रहा।

प्रबंध निदेशक, जेकेएसओईसीएल, जम्मू के रिकॉर्डों की (फरवरी 2018 में) लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कंपनी का प्रधान कार्यालय पूरी अवधि (दिसंबर 2010 से जून 2016) के दौरान नई दिल्ली कार्यालय में किसी भी उम्मीदवार का चयन करने और उसकी सिफारिश करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, नई दिल्ली कार्यालय किसी भी उम्मीदवार को सेवाएं प्रदान नहीं कर सका। इससे पता चला कि कार्यालय बिना किसी योजना के बनाया गया था और बिना किसी सार्थक गतिविधि के अस्तित्व में था। कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर और कार्यालय परिसर के किराए पर हुआ ₹47.86 लाख[43] का व्यय इस प्रकार अनुत्पादक रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, प्रबंधन ने (मार्च/ जुलाई 2018 में) कहा कि सरकार के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के बाद उम्मीदवारों को विदेशी नौकरी प्रदान करने की गतिविधियों को जारी रखने के लिए स्पष्ट नीति के अभाव के कारण प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी उम्मीदवार का चयन/ सिफारिश करने में प्रधान कार्यालय की विफलता के कारण नई दिल्ली में स्थापित कार्यालय अपने अनिवार्य कार्य नहीं कर सका।

इस प्रकार, आवश्यकता का आकलन किए बिना नई दिल्ली में कार्यालय स्थापित करने की अनुचित योजना के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के वेतन, परिसर को किराए पर लेने और अन्य व्ययों के लिए ₹47.86 लाख का अनुत्पादक व्यय हुआ।

इस मामले को अगस्त 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था। निदेशक वित्त, श्रम और रोजगार विभाग ने प्रबंधन के पहले (जुलाई 2018) के उत्तर को (फरवरी 2019 में) अग्रेषित किया और अनुचित योजना व अनुत्पादक व्यय के कारणों का उल्लेख नहीं किया।

---

[43] कार्यालय परिसर का किराया: ₹20.10 लाख; महाप्रबंधक का वेतन: ₹19.17 लाख; अर्दली का वेतन: ₹ 2.49 लाख; रखरखाव व्यय: ₹0.76 लाख; विज्ञापन और यात्रा व्यय: ₹5.34 लाख

विद्युत विकास विभाग

(जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड)

5.6 ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 के दौरान कर योग्य आय पर अग्रिम कर जमा करने में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की विफलता के परिणामस्वरूप ₹3.26 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 (बी) और 234 (सी) में कहा गया है कि जहां किसी भी वित्तीय वर्ष में एक कर निर्धारिती जो धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ऐसे कर का भुगतान करने में विफल रहता है या, जहां धारा 210 के प्रावधानों के तहत ऐसे निर्धारिती द्वारा प्रदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है, तो निर्धारिती अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज का भुगतान करने और अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएंडकेएसपीडीसीएल) के रिकॉर्ड की (जुलाई 2017 में) नमूना जांच से पता चला कि निगम वित्तीय वर्ष 2014-15 (निर्धारण वर्ष 2015-16) के दौरान अग्रिम कर जमा कराने में विफल रहा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की इन धाराओं में निर्धारित किया गया था। परिणामस्वरूप, निगम को आयकर विभाग द्वारा (दिसंबर 2016 में) यथा निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए (मार्च 2017 में) ₹3.26 करोड़ का ब्याज चुकाना पड़ा। अग्रिम कर के समय पर भुगतान से ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

जवाब में निदेशक वित्त, जेएंडकेएसपीडीसीएल ने (जुलाई 2017/ मई 2018 में) कहा कि विद्युत की बिक्री के प्रति, राज्य सरकार से अल्प राशि प्राप्त करने के बावजूद निगम ने ₹68.05 करोड़ के आयकर का भुगतान किया। यह भी कहा गया कि ब्याज का भुगतान, अवधि के दौरान उपलब्ध कम नकद शेष के कारण था। आगे यह कहा गया कि निगम की मूल राशि और ब्याज भुगतान के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति वचनबद्ध देयताएं थीं।

हालांकि, तथ्य यह है कि अर्जित आय पर आयकर का भुगतान किया जाना होता है और राज्य सरकार से देयों की प्राप्ति न होने पर निगम को इसके वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में इसकी विफलता से विमुक्त नहीं करता है। इसके अलावा अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए निगम के पास 31 मार्च 2015 को ₹100.24 करोड़ की पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष उपलब्ध थी। अग्रिम कर के गैर/ विलंबित भुगतान

के लिए निगम को परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा जो कि अविवेकी वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता था।

मामला मई 2018 में सरकार/ कंपनी को भेजा गया था उनका उत्तर (सितंबर 2019 तक) प्रतीक्षित था।

5.7 अलाभप्रद व्यय/ परिहार्य व्यय

48 मेगावाट लोअर कलनई हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग के लिए संविदा के निष्पादन पर शिथिल पर्यवेक्षण और नियंत्रण के कारण ₹25.30 करोड़ का अलाभप्रद व्यय हुआ। कंपनी प्रति वर्ष 219.30 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाई और परियोजना हेतु लिए गए सावधि ऋण पर ₹17.49 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। कंपनी संविदा के कार्य की प्रगति के साथ पीएमसी को परामर्शी शुल्क का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने में विफल रही, जिसके कारण ₹6.57 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। ₹79.20 करोड़ की बैंक/ निष्पादन गारंटी के नकदीकरण के बावजूद कंपनी को ₹11.20 करोड़ का न्यूनतम नुकसान हुआ।

राज्य सरकार ने निर्माण के दौरान वृद्धि सहित ₹576.87 करोड़ की अनुमानित समापन लागत के साथ 48 मेगावाट, लोअर कलनई हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एलकेएचईपी) के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग के लिए (अगस्त 2013 में) मंजूरी दी। परियोजना की अपेक्षित डिजाइन ऊर्जा 219.30 मिलियन यूनिट (एमयू) प्रति वर्ष के रूप में परिकल्पित की गई थी। **जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड** (कंपनी) ने ईपीसी[44] मोड पर एलकेएचईपी के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग के लिए ₹396 करोड़[45] की लागत पर एक फर्म[46] को ठेका देने की तारीख अर्थात सितंबर 2013 से 48 महीनों के अन्दर पूरा करने का (सितम्बर 2017 में) जिम्मा दिया। अवार्ड की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार संविदा करार पर अवॉर्ड की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाने थे। कंपनी ने काम के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेन्ट (पीएमसी) के रूप में ₹10.39 करोड़ की लागत पर अन्य फर्म[47] को भी (अक्टूबर 2013 में) लगाया। कार्यपालक अभियंता, सिविल कंस्ट्रक्शन डिवीजन-II एलकेएचईपी, ठाठरी के रिकार्डों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि संविदाकार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहा और संविदा करार करने की अधिसूचना जारी करने (12 सितम्बर 2013)

---

44 इंजीनियरिंग, खरीदी तथा कमिशनिंग

45 ईपीसी ठेका पैकेज के संयंत्र और उपकरणों की आपूर्ति के लिए ₹103.02 करोड़ की पहली संविदा और अंतर्देशीय परिवहन, बीमा, प्रतिष्ठापन, नियोजन, डिजाइन और इंजीनियरिंग, सिविल कार्यों, आदि के लिए ₹292.98 करोड़ का दूसरी संविदा

46 मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

47 मैसर्स इंडो कैनेडियन कंसल्टेन्सी सर्विसेज जो रोडिक कंसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ सह-व्यवस्था में है

और हस्ताक्षर करने (23 अप्रैल 2014) के बीच साढ़े सात महीने नष्ट हो गए। मई/ जून 2014 में शुरू किया गया कार्य बहुत धीमी गति से निष्पादित किया गया, चूंकि केवल 6.39 प्रतिशत (₹25.30 करोड़) प्रगति (अक्टूबर 2017 तक) हासिल की गई थी। आश्वासन के बावजूद, संविदाकार डिजाइन और इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप देने और कार्य के निष्पादन में तेजी लाने में विफल रहा। कंपनी ने देरी के लिए संविदाकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। संविदाकार द्वारा (जुलाई 2017 में) मांगा गया समय विस्तार प्रदान नहीं किया गया और कंपनी ने (सितंबर 2017 में) संविदा को समाप्त करने का निर्णय लिया। हालाँकि, कंपनी के पास उपलब्ध ₹79.20 करोड़ की बैंक/ निष्पादन गारंटी को (सितंबर 2017 में) ही भुनाया गया और संविदा को समाप्त नहीं किया गया। ₹65.68 करोड़[48] व्यय करने के बाद परियोजना का कार्य (अक्टूबर 2017 में) स्थगित कर दिया गया और फिर से (दिसंबर 2018 तक) शुरू नहीं किया जा सका। कंपनी वार्षिक रूप से ₹78.73 करोड़[49] मूल्य के अनुमानित 219.30 एमयू ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकी और परियोजना के लिए प्राप्त ₹45 करोड़ के सावधि कर्ज पर 2015-19 के दौरान ₹17.49 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। ₹79.20 करोड़ की बैंक/ निष्पादन गारंटी के बावजूद, कंपनी परियोजना पर अब तक व्यय हुए ₹90.40 करोड़[50] की वसूली नहीं कर पाई और ₹11.20 करोड़ का न्यूनतम नुकसान हुआ।

लेखापरीक्षा जांच में यह भी पता चला कि त्रुटिपूर्ण संविदा प्रबंधन के कारण, ईपीसी संविदा के कार्य की प्रगति के साथ पीएमसी को परामर्शी शुल्क का चरणबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया गया था। अन्य चीजों के साथ भुगतान खंड में प्रावधान था कि दी गई परामर्शी सेवाओं के लिए अंतरिम भुगतान परामर्शदाता द्वारा मासिक बीजकों के प्रस्तुत/ संकलन करने पर मासिक अंतराल पर किए जाने थे। कंपनी ने ईपीसी संविदाकार द्वारा (फरवरी 2018 तक) निष्पादित 6.39 प्रतिशत (₹25.30 करोड़) कार्य के प्रति 70 प्रतिशत (₹7.23 करोड़) परामर्शी शुल्क निर्मुक्त किया, परिणामस्वरूप ₹6.57 करोड़[51] का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर, कार्यपालक अभियंता, सिविल कंस्ट्रक्शन डिविजन-II एलकेएचईपी, ठाठरी ने (दिसंबर 2017 में) स्वीकार किया कि परियोजना पूरी न होने के कारणों में करार पर हस्ताक्षर करने में देरी, परियोजना के कार्य निष्पादन में धीमी प्रगति, ठेकेदार द्वारा व्यक्तियों, मशीनरी, उपकरण और सामग्री की अपर्याप्त लामबंदी थी और आगे कहा गया कि संविदाकार की बैंक/ निष्पादन गारंटी को भुना

---

48 सिविल कार्य: ₹54.85 करोड़ (₹28.87 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित), ईएम कार्य: ₹9.87 करोड़ (संविदाकार को प्रारंभिक अग्रिम भुगतान), निर्माण के दौरान लागत में वृद्धि: ₹0.96 करोड़

49 219.30 एमयू को ₹3.59 प्रति केडब्ल्यूएच के लेवलाइजड टैरिफ के साथ गुणा किया गया है

50 परियोजना कार्य पर व्यय: ₹65.68 करोड़; सावधि कर्ज पर ब्याज: ₹17.49 करोड़ और परामर्शी शुल्क: ₹7.23 करोड़

51 ईपीसी संविदाकार द्वारा प्रतिशत में कार्य समापन होने के आधार पर गणना अर्थात 6.39 प्रतिशत

लिया गया था। सरकार/ कंपनी को (अक्टूबर 2018 में) मामला भेजे जाने के बाद (दिसंबर 2018/ फरवरी 2019 में) यह भी कहा गया था कि संविदाकार ने कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि से पहले समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जिसकी सिफारिश कॉरपोरेशन द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक उसे अमल में नहीं लाया जा सका। इसके अलावा, निदेशक मंडल को (सितंबर 2017 में) प्रस्तुत किए गए संविदा को समाप्त करने के प्रस्ताव को संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले अनुमोदित नहीं किया जा सका। उत्तर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है कि कार्य (फरवरी 2019 में) विराम पर आ गया था और प्रबंधन ने संविदा को या तो समाप्त करने या इसे विस्तारित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि में भी कोई निर्णय नहीं लिया, परिणामस्वरूप ₹25.30 करोड़ का अलाभप्रद व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, संविदात्मक दायित्वों के अनुसार परिसमापित क्षतियाँ, जो परियोजना के कमीशन होने के बाद देय थीं, वे भी संविदाकार से वसूल नहीं की जा सकीं।

सुशील

श्रीनगर/जम्मू **(सुशील कुमार ठाकुर)**
दिनांक: 3 फरवरी 2020 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
जम्मू व कश्मीर और लद्दाख

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांक: 6 फरवरी 2020 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**